सं.ए-12025/10/2006-प्रशासन-1

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक flrEcj, 2006

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय

वि-ायः योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार के rhu पदों पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में (i) संयुक्त सलाहकार (जल L=ksr); (ii) संयुक्त सलाहकार (miHkksDrk m|kx); vkj (iii) संयुक्त सलाहकार (ifj;kstuk eY;kdu); **(प्रत्येक पद एक)** के पद पर संयुक्त पद्धति अर्थात् प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ योजना आयोग के विभागीय उप सलाहकार जो **संलग्नक** में प्रत्येक पद के लिए निर्दि-ट शर्तों को पूरा करते हैं, के नामों पर एक साथ विचार किया जाएगा। यदि किसी पद हेतु किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि के लिए विचार किया जाएगा जो fd ikp व-र्ों से अधिक नहीं gksxh A

3. पद का वेतनमान पात्रता शर्तें जैसे अर्हता और अनुभव, प्रत्येक पद से संबद्ध कार्य और प्रतिनियुक्ति की अवधि आदि **संलग्नक** में दिए गए हैं ।

4. मंत्रालयों केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विभागों से अनुरोध है कि वे इन रिक्तियों को अपने नियंत्रण के अधीन सभी अधिकारियों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र @ पाठ्यक्रम C;kj संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेनित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग अनुमति / सुस्प-ट अनापत्ति ;

(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच व-र्ो की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;

(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनि-ठा प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप**) में ।

-/-

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित हे और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 व-र्ाो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंM नहीं प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**)।

यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित आत्मवृत्त का आकलन किया जाएगा ।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेनित किए जाएं जिनके विरूद्ध सर्तकता का कोई मामला न हो । इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।

7. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो । "**लागू नहीं**" अथवा "**शून्य**" सूचना का स्प-ट उल्लेख होना चाहिए। उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इन रिक्तियों के ब्यौरे लिंक सर्कूलर्स के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट http://www.planningcommission.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

(के.के.छाबड़ा)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभा-ा : 23096531

प्रतिलिपि प्रे-ितः

1. सलाहकार (जल L=kkr) / सलाहकार (m|kx / वी.एस.ई)/ सलाहकार (ifj;kstuk eY;kdu) , योजना आयोग
2. योजना आयोग के सभी उप सलाहकार जिन्होंने संलग्नक में दिए गए प्रत्येक पद हेतु निर्धारित पात्रता की तिथि के अनुसार ग्रेड में 5 व-र् की नियमित सेवा पूरी कर ली है/कर लेंगे तथा विशि-ट पदों हेतु आवश्यक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं संलग्न प्रपत्र को पूरा कर अधोहस्ताक्षरी को दो प्रतियों में भेज सकते हैं।
3. संयुक्त सचिव (राज्य योजना एवं प्रशासन), योजना आयोग
4. नोटिस बोर्ड

(के.के.छाबड़ा)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभा-ा : 23096531

<u>**सलग्नक**</u>

योजना आयोग में प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर (i) संयुक्त सलाहकार (जल L=kkr); (ii) संयुक्त सलाहकार (miHkkDrk m|kx); vkj (iii) संयुक्त सलाहकार (ifj;ktuk eY;kdu); **(प्रत्येक पद एक)** के पद से संबंधित पात्रता की शर्तों आदि का विवरण।

रिक्तियों के C;kj:

<u>1. वेतनमान :</u> 14300-400-18300 रुपये (प्रत्येक पद के लिए)

<u>2. पद से संबंधित कार्य :</u>

(i) **<u>संयुक्त सलाहकार (जल L=kkr)</u>**

- जल संसाधन, सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु राज्यों की वार्निक एवं पंचव-र्षीय योजना प्रस्तावों की जांच एवं समीक्षा।
- बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा जल संसाधन मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रस्तावों की समीक्षा।
- (i) वार्निक योजना और पंचव-र्षीय योजनाओं पर चर्चा (ii) सूखा कार्यक्रमों और शी-र्न व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य मंत्रालयों के साथ चर्चा, तत्पश्चात् रिपोर्ट तैयार करना।
- मुख्य एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति हेतु योजना आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य समितियों द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों में भाग लेना।
- सलाहकार (जल संसाधन) को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विकास से संबंधित सभी मामलों में सहायता करना।

(ii) <u>संयुक्त सलाहकार (miHkkDrk m|kx)</u>

- VDIVkbYI] IheV] dkxt] phuh] peMk] [kk| inkFk] [kk| ry] [kk| iILdj.k I Icf/r miHkkDrk उद्योगk d fodkI vkj ;ktuk के लिए उत्तरदायी होगा।
- mi;Dr miHkkDrk उद्योगk I Icf/r fofHkUu e=kky;k @ jkT;k @ ih ,I ; @ m|kx ,Ikf'k,Iu @ 0;fDrxr] bR;kfn I ikIr iLrkok d uhfr;k] dk;dek vkj fuo'kk dk ijh{k.k vkj eY;kdu djuk A
- miHkkDrk उद्योगk I Icf/r कार्यक्रमों की प्रतिपादन एवं समीक्षा dju oky fofHkUu e=kky;k @ foHkkxk I समन्वय cuk, j[kuk ।
- औद्योगिक कार्यक्रमों जैसे विकास परि-ादों, लाइसेन्सिंग समितियां, परियोजना अनुमोदन बोर्ड, विदेशी निवेश बोर्ड, कैपिटल गुड्स समिति, एनआरआई समिति आदि से संबंधित शी-र्नस्त सरकारी एजेंसियों में भागीदारी।
- औद्योगिक अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन शुरू करना।

- सामान्य आर्थिक और औद्योगिक मुद्दों के पहलुओं को कवर करने सहित विभिन्न मंत्रालय/राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रतिपादन एवं उनकी जांच करना।
- मंत्रियों के समूह/सचिवों की समितियां @ dfcuV ukV @ dfcuV lfefr;k आदि से संबंधित नोटों की जांच करना vkj mlij fVIi.kh djuk ।
- वार्निक, पंच-वर्नीय एवं दीर्घावधिक भावी योजनाओं के प्रतिपादन में वरि-ठ अधिकारियों/आयोग को सहायता देना साथ ही नीतियों तथा ऐसे कार्यों में सहायता करना जो उन्हें समय-समय पर दिए जाएं जैसे संसद एवं इसकी समितियां, वीआईपी संदर्भ आदि।
- उप सलाहकारों एवं प्रभाग के अन्य अनुसंधान स्टाफ का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करना।

(iii) **संयुक्त सलाहकार (ifj;kstuk eY;kadu)**

सलाहकार एवं अन्य ofj"B vf/dkfj;k dh fuEufyf[kr elyk e lgk;rk djuk %&

- मूल्यांकन जाँचों, अन्वेशनों तथा अध्ययनों का योजना बनाना और समन्वयन करने e ।
- क्षेत्र अधिकाfj;k द्वारा दी गई सूचना का प्रसंस्करण, विश्ले-ाण तथा अधिनिरूपण djuk ।
- राज्य मूल्यांकन तंत्र को सशक्त बनाने, मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में तथा मूल्यांकन कार्यप्रणाली में तकनीकी सलाह देने में सहायता djuk A

3. पात्रता : (सभी पदों के लिए समान)

प्रतिनियुक्ति के लिए (अल्पावधि अनुबंध सहित)

नियमित आधार पर सदृश पद धारित; अथवा 12000-375-16500 रू0 के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्न की नियमित सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत समतुल्य पद धारित अधिकारी और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दि-ट प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हता/अनुभव रखते हों ।

प्रोन्नति हेतु

योजना आयोग के उपसलाहकार जिन्होंने ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्न की नियमित सेवा की हो और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दि-ट प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

4. आयु सीमा :

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (अल्पावधि-अनुबंध सहित) अधिकतम आयु सीमा नीचे मद संख्या 5 के सामने यथा निर्दि-ट पात्रता निर्धारण की निर्णायक तारीख को 56 वर्न से अधिक नहीं होगी ।

5. पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि :

(क) संयुक्त सलाहकार(ty L=kkr) के पद के लिए, इस विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ।

(ख) संयुक्त सलाहकार (miHkkDrk m|kx) के पद के लिए यह **01.06.2007** होगी ।

(ग) संयुक्त सलाहकार (ifj;ktuk eY;kdu) के पद के लिए यह **01.08.2007** होगी ।

6.अर्हताएं और अनुभव :

(प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग)

(I) संयुक्त सलाहकार (जल L=kkr)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समतुल्य A

(ii) जल L=kkr d {k=k e mld lHkh fofo/ igyvk tl unh ?kkVh ifj;ktukvk] ty lalk/u fodkl] dekM {k=k fodkl] ck< fu;=k.k] ty vkj ty vif'k"V dk ic/] ty fudkl] ty ink;] 0;;u] de ykxr dh LoPNrk] Bkl vif'k"V ic/u vkfn e vul/ku @ fodkl ;ktuk @ ekuhVj djuk vkj eY;kdu @ fu"iknu dk 12 वर्-ा का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) सिविल/ ty oKkfud @ ty lalk/u bthfu;fjx @ ty foKku @ ykd LokLF; bthfu;fjx e ekLVj fMxh A

(ii) vkykpukRed leh{kk @ fjikV vkdu @ vul/ku fjikV vkfn dk r;kj dju vkfn dk vuHko] प्रकाशनों द्वारा lk{; fn;k x;k gk ।

(II) संयुक्त सलाहकार (miHkkDrk m|kx)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय l foKku e मास्टर डिग्री या इंजीनियरी ik|kfxdh में डिग्री ;k lerY; A

(ii) fdlh ,d ;k vf/d miHkkDrk उद्योगk e fodkl ifj;ktukvk d vul/ku @ fodkl ;k budh ;ktuk cuku @ dk;kUo;u dk 12 वर्-ा का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) foKku e MkDVjV dh डिग्री या इंजीनियरी @ ik|kfxdh में मास्टर डिग्री A

(ii) miHkkDrk उद्योगk d औद्योगिक vuKkiu, विदेशी fofu/ku vkj lg;kx, अनुसंधान vkj fodkl d fl¼krk vkj @ ;k uhfr;k dk Kku A

(iii) lk?;rk v?;;u ;k foLrr ifj;ktuk fjikVk d तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन dk अनुभव ।

(III) संयुक्त सलाहकार (ifj;ktuk eY;kdu)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता iklr विश्वविद्यालय से foKku @ अर्थशास्त्र @ okf.kT; /xf.kr @ सांख्यिकी / 0;olk; प्रशासन / संक्रिया अनुसंधान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री ;k समतुल्य ।

(ii) अनुसंधान/ fMtkbu @ विकास dk ;k ifj;ktukvk @ dk;dek dk cuku vkj mud eY;kdu @ vdu dk ;k ifj;ktukvk d p;u d lc/ e lykg nu dk 12 व-र्ा का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) llxr dyk @ foKku fo"k; e MkDVjV dh fMxh ;k bthfu;jh e ekLVj fMxh A

(ii) ,lh ifj;ktukvk d] ftle ogn fuo'k vnxLr g] iufoykdu @ vdu @ p;u dk vuHko A

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अवधि है,साधारणतयः पांच व-र्ा से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें , भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/ 29 / 91 -स्था. (पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा ।

****

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन के साथ अलग से संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रपत्र

सत्यनि-ठा प्रमाण-पत्र

वार्-िक गोपनीय रिपोर्टों की जांच करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, की सत्यनि-ठा मे कोई संदेह नही है।

(उपसचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांक

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई न तो लंबित है v/kj u gh अवेक्षित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांकः

दण्ड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध पिछले दस सालों के दौरान कोई लघु/ cM+k दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांकः